सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

अग्रणी बैंक कार्यालय, मुजफ्फरपुर | LEAD BANK OFFICE, MUZAFFARPUR

अ/जि/का/मुज/2019-20/41 | दिनांक : 01.06.2019

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं केनरा बैंक, मुजफ्फरपुर,
अंचल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, मुजफ्फरपुर,
आंचलिक प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक एवं बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरपुर,
जिला समन्वयक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं आंध्रा बैंक, मुजफ्फरपुर,
क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर एवं
मुख्य प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर ।

Rcvd 13.06.19

विषय :- दिनांक 15.09.2018 को आयोजित चलन्त लोक अदालत (दिव्यांगजन) में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध नहीं कराने पर श्री राजेश कुमार, चेयरमैन, नगर विकास समिति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित शिकायत के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), पटना का पत्रांक सं.सं.-06/रा.आ.नि.(च.न्या.)-03/2018-161/आ. नि. को., दिनांक- 08.02.2019 ।
2. हमारा कार्यालय पत्रांक अ/जि/का/2018-19/ 163, दिनांक 24.09.2018,
3. हमारा कार्यालय पत्रांक अ/जि/का/2018-19/ 197, दिनांक 09.10.2018,
4. हमारा कार्यालय पत्रांक अ/जि/का/2018-19/ 386, दिनांक 12.02.2019,
5. विभिन्न दिव्यांगजनों का आवेदन दिनांक 15/09/2018 ।

प्रसंग :- 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का केस नं.- 1101/4/23/2019, दिनांक 03.05.2019,
2. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक 08/09/2019-IF-II, दिनांक 24.05.2019 ।

महाशय,

विषयान्तर्गत सूचित करना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार सरकार, पटना के द्वारा दिनांक 15.09.2018 को मुजफ्फरपुर में चलन्त लोक अदालत (दिव्यांगजन) का आयोजन किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग्जनों की समस्याओं के निवारण हेतु राज्य आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई के पश्चात दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया गया था एवं हमारे कार्यालय से उपरोक्त प्रेषित पत्रों के माध्यम से आपके बैंक शाखाओं से अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित थी । परंतु शाखाओं से दिव्यांगजनों को ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने पर श्री राजेश कुमार, चेयरमैन, नगर विकास समिति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को शिकायत दर्ज कराई गई है । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली को उचित कार्रवाई करने को निदेशित किया है । इसकी प्रतिलिपि एवं बैंकवार शाखावार आवेदकों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः उक्तालोक में अनुरोध है चलन्त न्यायालय में पारित आदेश के क्रम में आपके बैंक / शाखा द्वारा जितने दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये हैं, उनके संबंध में

--2--

नवचेतना : दक्षतापूर्वक कार्य के प्रति समर्पण
पावापुरी विहार,भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर :- 842 001
दूरभाष. : 0621-2251787 ई-मेल : ldmmuzaro@centralbank.co.in

Scanned with CamScanner

आवेदकवार लाभुक, ऋण राशि, प्रदाता बैंक / शाखा तथा संबंधित प्रोजेक्ट की विवरणी सहित एक विस्तृत प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के साथ ही अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं अगर किसी दिव्यांगजन को ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है तो इसका समुचित कारण स्पष्ट उल्लेख करते हुए सूचित करें ताकि इसे राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, वित्त विभाग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार को प्रेषित किया जा सके । **कृपया आवेदकवार वांछित प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2019 तक हमारे कार्यालय को अवश्य प्रेषित करें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके ।**

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

(डॉ. एन. के. सिंह)
अग्रणी जिला प्रबन्धक

संलग्नक :- यथोक्त ।

प्रतिलिपि :-1. राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015 को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

पावापुरी विहार,भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर :- 842 001
दूरभाष. : 0621-2251787 ई-मेल : ldmmuzaro@centralbank.co.in

Scanned with CamScanner